न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

राजस्व निगरानी संख्या 04/ 19 **वर्ष 2019**

आरसीएमएस संख्याः– (2012/00002)

बउनवानीः–

1. हेमप्रकाश पुत्र मोहनलाल ब्राहामण आयु 30वर्ष,निवासी कुस्तला तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. सतीश पुत्र मोहनलाल ब्राहामण आयु 32 वर्ष,निवासी कुस्तला तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3. मुकेश पुत्र मोहनलाल ब्राहामण आयु 35 वर्ष,निवासी कुस्तला तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. मोहन पुत्र राधाकिशन नायक आयु 60वर्ष निवासी खडडा कॉलोनी खटीक मण्डी छुगानी होटल के पास बजरिया सवाईमाधोपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर
2. त्रिलोक चन्द पुत्र चिरंजी जाति खटीक आयु32 वर्ष निवासी पेशा प्रोपर्टी डीलर निवासी शेरपुर तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
3. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर
4. उप जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

(निगरानी प्रार्थना विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 6.11.1975 उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम,1970)

उपस्थितः– 1. श्री श्याम सुन्दर शर्मा वकील प्रार्थीगण

2. श्री रविशंकर सैनी वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– **दिनांक 9.12.2019**

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन आदेश दिनांक 6.11. 1975 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कथित आवंटन आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गयी।

वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थीगण ग्राम कुस्तला तहसील व जिला सवाईमाधोपुर के निवासी है पेशा से काश्तकार व दुकानदार है विपक्षी हाल निवासी खडडा कॉलोनी बजरिया सवाईमाधोपुर के निवासी है तथा द्वितीय पक्षकार शेरपुर का निवासी है। अप्रार्थी संख्या 1 को आराजी ख0न0 1710 पुराने जिसके नवीन ख0न0 1645,4371/5598,4372,4373 रकबा 5 बीघा भूमि वाके ग्राम कुस्तला तहसील सवाईमाधोपुर मे दिनांक 6.11.1975 को आवंटन किया गया था जबकि आवंटी ग्राम कुस्तला का निवासी नही था ओर ना ही काश्तकार था। अप्रार्थी संख्या 1 को आवंटन करते समय आवंटन एवं रेगूलाईजेशन रूल्स 1970 की कतई कानूनन पालना नही की गयी है चूंकि आवंटन की सिफारिश भूमि आवंटन सलाहकार समिति पर केवल दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर है जबकि तीन व्यक्तियों की सिफारिश पर हस्ताक्षर होना कानून आवश्यक है। कानून आवंटन कमेटी का कोरम अपूर्ण होते हुए थी गलत रूप से आवंटन किया गया है जो काबिले निरस्त है। अप्रार्थी संख्या 1 ने आवंटन एवं रेगूलाईजेशन रूल्स 1970 की पालना नही की है चूंकि आवंटी को 1975 से एक वर्ष के अन्दर 50 प्रतिशत भूमि व उसके दूसरे वर्ष सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करके फसल काश्त करना अनिवार्य है परन्तु आवंटी वर्तमान समय तक इस आराजीयात पर काबिज काश्त नही है। अप्रार्थी संख्या 1 का तथाकथित खातेदारी के वर्तमान ख0न0 1645 रकबा 0.30 है0, 4371/5598 रकबा 0.36 है0, ख0न0

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

4372 रकबा 0.30 है0, 4374 रकबा 0.30 है0, जिसके पुराने ख0न0 1710/7 वाके ग्राम कुस्तला पर अब भी वर्तमान में कब्जा कास्त नही है चूंकि सम्वत् 2055– 2056 मे आराजी ख0न0 1710 रकबा 2 बीघा भूमि की किस्म चरागाह पर स्व0 श्री मोहनलाल पंचोली पुत्र श्री कल्याण बक्स ब्राहामण कुस्तला का कब्जाकाश्त था जो प्रार्थीगण के पिता थे। यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा ख0न0 1710 पर गोमती तलाई के पास वाली भूमि पर था चूंकि इस भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 ने पूर्वत लडडू पुत्र फेलू गुर्जर व इसके बाद सीता राम जाट को ख0न0 4368 रकबा 0.6 है0 व ख0न0 4389 रकबा 0.95 है0 कुल किता 2 विक्रय कर दिया था इन्ही ख0न0 पर कब्जा सम्भलाया गया था। इन्ही ख0न0 का विनियमन का मुकदमा लड रहा है इस प्रकार वर्तमान ख0न0 1645, 4371, 4372, 4374 पर कभी भी कब्जा नही रहा है और ना ही इसने कभी किया है इसका कब्जा 4368, 4369 पर ही रहा था जिसकी साक्ष्य अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा लिखित इकरार नामा दिनांक 15.7. 2009 है इसी कदर अप्रार्थी संख्या 1 मु.न. 4/2006 सम्मानीय अदालत उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के यहॉ प्रस्तुत वाद मे स्वंय विवादग्रस्त आराजीयात पर अपना कब्जा नही होना एडमिट करता है। यह तर्क भी दिया कि उक्त आराजीयात आवंटन करते समय भी चरागाह थी एवं सम्वत् 2055 से 2056 मे भी चरागाह थी उसे नवीन भूप्रबंध के अधिकारियों ने सिवायचक बनाकर किस प्रकार से खातेदारी दी गयी है जबकि दूसरे व्यक्ति को चरागाह का नोटिस धारा 91 का दिया गया है। यह तर्क भी दिया कि विपक्षी संख्या 2 ने उक्त भूमि का विक्रय पत्र की रजिस्ट्री स्वंय के नाम करवाकर जबरन नाला किस्म जमीन चरागाह ख0न0 1710 नवीन ख0न0 4371,4373,4375,4376 में होकर निकाल रहा है जिस पर जेसीबी मशीन चलाकर दुरूस्त करवाकर उस पर जबरन लठ्ठ के जोर से काबिज होकर भूखण्ड काटना प्रारम्भ कर दिया है। जबकि उक्त ख0न0 1710 किस्म चरागाह में सरकारी टयूबवैल भी लगा हुआ है जिसपर सरकारी पैसा से पानी पीने के लिए ग्राम कुस्तला मे पेयजल की आपूर्ति की जाती है। उक्तानुसार किये गये कथनों की पुष्टि हेतु न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1985 एनओसी 43–44, न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1985 पेज 690 , न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1982 पेज संख्या 76 इस प्रकरण पर चस्पा हो सकती है किन्तु आरआरडी 1993 पेज संख्या 652 एवं आरआरडी 1993 पेज संख्या 652 प्रस्तुत किये गये। निगरानी प्रा0 पत्र जानकारी से अन्दर मयाद प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवंटन विधिवत किया गया है जिसके किसी प्रकार की विधिक त्रृटि नही की है। यह तर्क भी दिया कि अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन एवं अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने के कारण सरकार द्वारा प्रार्थी को ख0न0 1710/7 किस्म बारानी–3 मे से 5 बीघा भूमि आवंटित की जाकर दिनांक 6.11.1975 को ही विधिवत तरीके से दो गवाहों क्रमशः घनश्याम पुत्र बजरंगलाल ब्राहामण एवं सूरजन सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह राजावत के समक्ष आवंटित भूमि का कब्जा सम्भलाया जाकर उसी दिन दिनांक 6.11.1975 को आवंटित भूमि का पटटा जारी किया गया है। इसलिए प्रार्थीगण का यह कथन सत्य नही है कि आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा नही रहा हो। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी द्वारा ख0न0 1710 की भूमि चरागाह होना बताया है जबकि अप्रार्थी को ख0न0 1710/7 की बारानी–3 की भूमि आवंटित की गयी है एवं निगरानीकार का कब्जा 1710 गै0मु0 चरागाह पर है। यह तर्क भी दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध मूल आवंटन मिसल के अनुसार आवंटी के पक्ष मे किया गया उक्त आवंटन मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन की श्रेणी मे नही आता है जबकि इतने वर्ष पश्चात केवल मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराये गये आवंटन को

डॉ० एस० पी० सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

ही खारिज किया जा सकता है। परन्तु अप्रार्थी को किया गया आवंटन छलपूर्वक करवाया आवंटन की श्रेणी मे नही आता है। इसलिए प्रार्थीगणों की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) खारिज करने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

वकील उभयपक्षों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि वकील प्रार्थीगण द्वारा आवंटी को उक्त भूमि का आवंटन विधि विरूद्व तरीके से किये जाने बाबत किये गये कथन के समर्थन में कोई ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया है जिसके आधार पर उसके द्वारा किये गये कथन की पुष्टि हो सके। प्रार्थीगण का कब्जा ख0न0 1710 पर रहा है जो गै.मु. चरागाह है। किन्तु अप्रार्थी को आवंटित भूमि ख0न0 1710/7 बारानी–3 की है। इसके अतिरिक्त वकील प्रार्थीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्तो का अवलोकन भी किया गया किन्तु उक्त न्यायिक दृष्टान्तो में अंकित तथ्य इस प्रकरण से भिन्न होने के कारण इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है। वकील प्रार्थीगण द्वारा यह भी सिद्व नही किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 को किया गया आवंटन मिथ्या कथन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराया गया आवंटन हो। इसके विपरीत पत्रावली पर उपलब्ध मूल आवंटन मिसल में उक्त आवंटन छलपूर्वक (Fraud or Misrepresentation) कराया गया हो ऐसा कोई तथ्य नही पाया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि आवंटी को आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने एवं आवंटन के इतने समय पश्चात आवंटन निरस्त किया न्याय संगत नही है। चूंकि वकील अप्रार्थी द्वारा किये गये कथन की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध मूल आवंटन मिसल से बखूबी हो जाती है। ऐसी स्थिति में न्याय के परिप्रेक्ष्य में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में विधिवत किये गये आवंटन आदेश दिनांक 6.11.1975 मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 14(4) खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 9.12.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.30 16:29:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: